2019/00177

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर

बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 494 / 2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. इलाहीबक्स पुत्र पीरू खां, उम्र 76 वर्ष जाति–तेली मुसलमान, निवासी–तेलियो के मदरसे के पास, वार्ड नम्बर 28, फलोदी तहसील जिला जोधपुर		1. तहसीलदार फलौदी 2. अलादीन पुत्र इलाहीबक्स 3. फारूक पुत्र इलाहीबक्स 4. हनीफ पुत्र इलाहीबक्स 5. हकीम पुत्र इलाहीबक्स 6. मुक्तियार पुत्र इलाहीबक्स 7. सलमा पुत्री इलाहीबक्स सभी जाति–तेली मुसलमान, निवासी–तेलियो के मदरसे के पास, वार्ड नम्बर 28, फलोदी तहसील जिला जोधपुर

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88,15ए आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

श्री सदीक खान अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02/07/2020

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सियामाली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा भूमि वादी की पत्नी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की माता जनू पत्नी इलाहीबक्स जाति तेली मुसलमान के नाम से आवंटन हुई है और जनू पत्नी इलाहीबक्स के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। वादग्रस्त भूमि पर जनू पत्नी इलाहीबक्स का अपने जीवन काल तक कब्जा काश्त रहा तथा उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान् वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का कब्जाकाश्त हो गया तथा इसी अनुसार ही जनू का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 119 मौजा सियामाली मलार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया। उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि जनू का अपने जीवन काल तक तथा उसकी मृत्यू के पश्चात् वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी वगैरा नहीं की है। जनू पत्नी इलाहीबक्स को आवंटन करते समय गांव सियामाली मलार की काश्त भूमि पर उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान अवश्य प्रभावित थे। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के दिनांक 15.10.1955 को प्रभावी होने के समय गांव मलार उपनिवेशन क्षेत्र के अंतर्गत नही था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 ए के प्रावधान गांव मलार स्थित काश्त भूमि के काश्तकारान् पर उनकी खातेदारी की काश्त भूमि के हस्तांतरण इत्यादी पर कतई प्रभावी नहीं थे।

खातेदारी काश्तकार जनू पत्नी इलाहीबक्स को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के दिनांक से गांव मलार की काश्त भूमि पर कोई उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान ही लागू नहीं थे तो उस स्थिति में आवंटी जनू पत्नी इलाहीबक्स के हक में होने वाले नामांतरकरण संख्या 119 मौजा सियामाली मलार गैर खातेदार दर्ज किया गया जिस पर जनू द्वारा [illegible] काल में तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 12:31:15 IST
Reason: SelfAttested

[stamp:] ... दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलोदी

फलौदी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया लेकिन बावजुद इसके आज दिन तक उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में जनू पत्नी इलाहीबक्स को आजीवन गैर खातेदार एंव उसकी मृत्यू के पश्चात वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को गैर खातेदार ही दर्ज किया गया है इसलिये वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार फलौदी द्वारा गौर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिलाने बाबत् जवाब पेश किया। व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को न्यायालय समय में बार-बार रूक-रूक कर आवाजे लगाई गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी अधिवक्ता की वाद पर बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे बताया की ग्राम सियामाली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा भूमि वादी की पत्नी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की माता जनू पत्नी इलाहीबक्स जाति तेली मुसलमान के नाम से आवंटन हुई है और जनू पत्नी इलाहीबक्स के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। वादग्रस्त भूमि पर जनू पत्नी इलाहीबक्स का अपने जीवन काल तक कब्जा काश्त रहा तथा उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान् वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का कब्जाकाश्त हो गया तथा इसी अनूसार ही जनू का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 119 मौजा सियामाली वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया। नामांतरकरण संख्या 119 मौजा सियामाली मलार गैर खातेदार दर्ज किया गया इसलिये वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को गैर खातेदार से खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम सियामाली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा भूमि वादी की पत्नी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की माता जनू पत्नी इलाहीबक्स जाति तेली मुसलमान के नाम से आवंटन हुई है उक्त भूमि में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सियामाली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादी एव प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी
जिला जोधपुर

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस)
(फास्ट ट्रेक) फलौदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 12:31:15 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी

1. इलाहीबक्स पुत्र पीरू खां, उम्र 76 वर्ष जाति–तेली मुसलमान, निवासी–तैलियो के मदरसे के पास, वार्ड नम्बर 28, फलोदी तहसील जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार फलौदी
2. अलादीन पुत्र इलाहीबक्स
3. फारूक पुत्र इलाहीबक्स
4. हनीफ पुत्र इलाहीबक्स
5. हकीम पुत्र इलाहीबक्स
6. मुक्तियार पुत्र इलाहीबक्स
7. सलमा पुत्री इलाहीबक्स

सभी जाति–तेली मुसलमान, निवासी–तैलियो के मदरसे के पास, वार्ड नम्बर 28, फलोदी तहसील जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88,15ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 494 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री सदीक खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम सियामाली पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादी एव प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
[illegible] बाबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 07 सन् 2020 को जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी, जिला जोधपुर)

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलोदी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प	–	–
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनतनामा वकील			मेहनतनामा वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलोदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 12:31:15 IST
Reason: SelfAttested